प्रेस विज्ञप्ति

त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को छात्रों के स्तर से सही करने की अन्तिम तिथि 13 फरवरी, 2026

निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0 2073/पि0व0क0/2025–26 दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 के साथ संलग्नक अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के पत्रांक सं0 195/2025/3484/26–3–2025–1741061 लखनऊः दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025–26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 को छोड़कर) अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु समय–सारिणी जारी की गयी है। उक्त समय–सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु तिथियां निर्धारित की गयी हैं:–

1– त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रो के स्तर से सही करनाः– 10 फरवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026 तक।

2– सही किये गये आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा संस्था में जमा किया जाना तथा संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित किया जानाः– 10 फरवरी, 2026 से 18 फरवरी, 2026 तक।

छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों में की गयी त्रुटियों को ठीक करने तथा सही आवेदन पत्रों को संस्था में जमा किया जाना एवं शिक्षण संस्था द्वारा पुनः सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना।

अतः जनपद की समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि तदानुसार निर्धारित समयान्तर्गत शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्राओं के स्तर से त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को ऑनलाइन सही करते हुए अपने स्तर की समस्त कार्यवाही भी निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

प्र0जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
बुलन्दशहर।

कार्यालयः– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांकः– 415 /पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2025–26 दिनाकः– 10 फरवरी, 2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
4. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मेरठ।
5. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को अतिरिक्त प्रतियां इस अनुरोध के साथ कि स्थानीय समाचार पत्रों में कृपया निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ की जनपद– बुलन्दशहर की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बुलन्दशहर।
9. प्राचार्य/प्रधानाचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी, समस्त शिक्षण संस्थान, जनपद– बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि आप अपने स्तर से अपनी संस्थान में अध्ययनरत् इच्छुक छात्र/छात्राओं को नोटिस बोर्ड आदि के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति छात्र/छात्राओं के हित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

प्र0जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
बुलन्दशहर।